

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ.1(6)( )स्था/NTT/ICDS/22/ 51415-177

जयपुर,दिनांक: 13-01-2023

समस्त उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

विषय : पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को शिक्षा विभाग द्वारा नामित स्थान पर कार्यग्रहण हेतु कार्यमुक्त करने बाबत।

प्रसंग : निदेशक, शिक्षा विभाग के कार्यालय के संयुक्त आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/अंग्रेजी माध्यम /पूर्व प्राथमिक/2021-22/375 दिनांक 12.01.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को पदस्थापित कार्यालय से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तुरन्त प्रभाव से स्थानान्तरित/कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करावें। उल्लेखित पदस्थापन स्थान पर अद्यतन प्रभावी स्थगन प्राप्त कार्मिकों को सीधे ही वर्तमान कार्यरत स्थान से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करावें।

अतः इनको कार्यमुक्त करने के उपरांत संबंधित कार्यमुक्त कार्मिक की सूचना का रेकार्ड से मिलान/सत्यापन एवं सूचनाओं का सत्यापन एवं कार्मिक के विरुद्ध न्यायिक वाद / दर्ज अपराधिक मामले/विभागीय जांच कार्यवाही का विवरण तथा अन्तिम भुगतान प्रमाण-पत्र सहित कार्मिकों की संकलित सूचना सॉफ्ट एक्सल शीट एवं हार्ड कॉपी में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को सुपुर्द किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त सूची इस निदेशालय को भी जरिए ईमेल dda.wcd@rajasthan.gov.in पर शीघ्र भिजवाएं।



उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(6)( )स्था/NTT/ICDS/22/ 5178-5480

जयपुर,दिनांक: 13-01-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सचिव, निदेशक, आई.सी.डी.एस विभाग राज. जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी।
6. प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना), मुख्यालय।



उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर।